

न्यायालय:-अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 15/2014 क्लेम

संस्थित दिनांक 17-02-2014

सतीशसिंह पुत्र श्री फौजदार सिंह यादव उम्र 25 वर्ष। व्यवसाय दूध बिक्रय व कृषि, निवासी ग्राम सौरा, परगना गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)।

----- आवेदक

बनाम

1. थानसिंह पुत्र श्री प्रभूदयाल परिहार उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम गुठीना, पोस्टऑफिस बहादुरपुर, जिला ग्वालियर (म0प्र0)।

-----वाहन स्वामी

2. सुरेश परिहार पुत्र श्री हरनामसिंह परिहार उम्र 44 वर्ष, निवासी झण्डू मोहल्ला वार्ड न. 10 मौ, हाल निवासी- रतनगढ माता मंदिर के पास थाना अतरेटा जिला दतिया म0प्र0।

-----वाहन चालक

-----अनावेदकगण

आवेदक द्वारा श्री एम.पी.एस.राणा अधिवक्ता

अनावेदक क्रं0 1 द्वारा श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।

अनावेदक क्रं0 2 द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।

//अधि-निर्णय//

//आज दिनांक 11-02-2016 को घोषित किया गया //

01. आवेदक सतीश सिंह की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 166 एवं सहपठित धारा 140 मोटरयान अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है। जिसमें कि मोटरसाइकिल बजाज प्लेटीना रजिस्ट्रेशन क्रमांक एम.पी. 07 एम.एच. 7992 स्वामी व चालक

के विरुद्ध मोटरयान दुर्घटना से आई हुई गंभीर उपहति की क्षतिपूर्ति हेतु 7,20,000/— रूपए एवं व्याज दिलाए जाने बावत् वर्तमान आवेदनपत्र पेश किया है।

02. यह अविवादित है कि

03. आवेदक का आवेदनपत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 08.06.2011 को आवेदक अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 30 एम.डी. 1304 पैसन से अपने गांव से मौ आ रहा था जिसे विनोद चला रहा था और आवेदक पीछे बैठा हुआ था। जैसे ही मौ बेहट रोड रामकरन के ट्यूब वेल के पास आया तो मौ तरफ से बजाज प्लेटीना मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 07 एम.एच. 7992 का चालक सुरेश तेजी व लापरवाही से चलकार लाया और आवेदक की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे आवेदक के दाहिने पैर में घुटने के नीचे पिडली व ऍंडी में चोटें आई। उक्त घटना की रिपोर्ट आवेदक के द्वारा उसी समय मौ थाने में की गई जिस पर से अनावेदक क्रमांक 2 के विरुद्ध अप0कं0 125/11 धारा 279, 337, 338 भा0दं0वि0 का पंजीबद्ध किया गया। जॉच उपरांत अभियोगपत्र अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा0दं0वि0 एवं धारा 146/196, 3/181 मोटरयान अधिनियम का अनावेदक क्रमांक 2 के विरुद्ध जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय गोहद में पेश किया गया है जो कि प्रकरण अभी संचालित है।

04. आवेदक ने आवेदनपत्र में आगे यह भी बताया है कि उपरोक्त दुर्घटना के फलस्वरूप आई हुई चोटों के कारण उसके दाहिने पैर में फ्रेक्चर हो गया है और इलाज के उपरांत भी आवेदक सामान्य रूप से चलने में सक्षम नहीं है। आवेदक के पैर का ऑपरेशन होने के उपरांत उसका इलाज अभी भी चल रहा है। आवेदक को ऑपरेशन एवं इलाज में 1,00,000/— रूपए व्यय हुए हैं। इसके अतिरिक्त आवेदक के द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि दुर्घटना में आई हुई चोट से उसे स्थाई बिकलांगता आ गई है और अपना कार्य सामान्य रूप से नहीं कर पा रहा है। ऐसी दशा में स्थाई बिकलांगता के मद में क्षतिपूर्ति राशि 5,00,000/—रु. दिलाये जाने का निवेदन किया है। इसके अतिरिक्त इलाज के दौरान आने जाने में हुए व्यय एवं पोष्टि आहार का सेवन भी करना पडा था और उसे शारीरिक एवं मानसिक कष्ट भी सहन करना पडा था इस प्रकार उक्त तीनों मद में 40000/— रूपए का व्यय हुआ है। तथा आवेदक खेती का कार्य कर एवं दूध बिक्रय करता था उक्त मदों आवेदक को कुल 80000/— रूपए की वार्षिक क्षति हुई है। इस प्रकार कुल 7,20,000/— रूपए उपरोक्त दुर्घटना में जो कि अनावेदक कं02 के द्वारा अनावेदक कं01 के वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाने के फलस्वरूप घटित हुयी है। अनावेदकगण से संयुक्त एवं प्रथक प्रथक रूप से दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

05. अनावेदक क0 1 ने अपने जवाब में स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त आवेदक के आवेदनपत्र के अभिकथन को इन्कार किया है।

06. आवेदकपक्ष एवं अनावेदक पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी है जिस पर निकाले गये निष्कर्ष उनके सामने अंकित किये जा रहे हैं ।

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 08.06.2011 को मौ बेहट रोड रामकरण के ट्यूब वेल के पास समय 13:00 बजे दोपहर अनावेदक क्रमांक 1 के स्वामित्व के वाहन एम.पी. 07 एम.एच. 7992 को अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदक की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर गंभीर उपहति कारित की?	
2	क्या उक्त दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप आवेदक को स्थाई अशक्तता कारित हुई?	
3	क्या आवेदक क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है यदि हाँ? तो किस से एवं कितना कितना?	
4	सहायता एवं व्यय?	

// निष्कर्ष के आधार //

बिन्दु क्रमांक— 01 :-

07. आवेदक सतीशसिंह अपने शपथपत्र मुख्य परीक्षण में उसके द्वारा किए गए अभिवचनों का समर्थन करते हुए बताया है कि दिनांक 08.06.2011 को वेहट रोड रामकरन के ट्यूबवेल के पास दोपहर के लगभग 1 बजे वह अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 30 एम. डी. 1340 पेसन से अपने गांव से मौ आ रहा था। उसकी मोटरसाइकिल विनोद चला रहा था। वह पीछे बैठा था। तभी अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा तेजी व लापरवाही से अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 07 एम.एच. 7992 को चलाकर दुर्घटना कारित की। उक्त घटना के रिपोर्ट पुलिस थाना मौ में किये जाने पर अनावेदक क्रमांक 2 के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय गोहद में उसके विरुद्ध अभियोगपत्र पेश किया गया जिसका कि प्रकरण संचालित है। उक्त मोटरसाइकिल अनावेदक क्रमांक 1 थानसिंह के स्वामित्व की थी। दुर्घटना के कारण आवेदक को दाहिने पेर के नीचे पिण्डली और ऐडी में चोटें आई और ऐडी का एकसरे कराने पर पता चला कि फ्रेक्चर और स्थाई अपंगता आ गई है तो उक्त चोट का इलाज उसके द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौ एवं जयारोग्य अस्पताल ग्वालियर में कराया गया। आवेदक के द्वारा दाण्डिक प्रकरण से प्राप्त दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि पेश की गई है जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2, अपराध विवरण फार्म प्र.पी.3, एम.एल.सी. प्र.पी. 4, सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 5, गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 6, मैकेनिकल जॉच रिपोर्ट प्र.पी. 7 और सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 8 व सुपुर्दगीनामा आदेश प्र.पी. 9 उसकी ओर से पेश किए गए हैं।

08. घटना के आहत सतीश के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है। प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अनावेदक क्रमांक 2 सुरेश के नाम का घटनाकर्ता के रूप में उल्लेख नहीं है। घटना दिनांक को वह सुरेश को नहीं पहचानता था। साक्षी का उक्त कथन स्वभाविक लगता है। रोड पर चलते हुए किसी भी व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति हमेशा पहले से जानता हो ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। सड़क पर कई लोग चलते हैं इस परिप्रेक्ष्य में यदि पहले से अनावेदक क्रमांक 2 को वह नहीं पहचानता था उसके नाम आदि का पता बाद में चला था तो इससे कोई विपरीत प्रभाव प्रकरण पर नहीं पड़ता है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि पुलिस के द्वारा भी विवेचना के दौरान अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा दुर्घटना कारित करना पाया जाने से उसके पेश करने पर मोटरसाइकिल और उसके कागजातों की जप्ती की गई है और उसे गिरफ्तार किया गया है

और मोटरसाइकिल उसी के द्वारा सुपुर्दगी पर प्राप्त की गई है।

09. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा प्रतिपरीक्षण में आवेदक को यह सुझाव दिया गया है कि अनावेदक क्रमांक 2 सुरेश जब गाड़ी चला रहा था तब उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था अथवा नहीं। उक्त तथ्य भी इस बात की पुष्टि करता है कि घटना के समय प्रश्नाधीन वाहन मोटरसाइकिल अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा ही चलाई जा रही थी। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि गाड़ी चलाने वाले को वह देख नहीं पाया था। इस प्रकार आवेदक के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके मुख्य परीक्षण के कथन किसी प्रकार से प्रतिखण्डित नहीं हुए हैं, बल्कि प्रतिपरीक्षण के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा ही दुर्घटना के समय प्रश्नाधीन वाहन मोटरसाइकिल को चलाया जा रहा था।

10. आहत सतीश को आई हुई चोटों का जहाँ तक प्रश्न है। इस संबंध में आहत के द्वारा दाहिने पैर में फ्रैक्चर होना बताया है, किन्तु इस संबंध में कोई एक्सरे रिपोर्ट या अन्य कोई रिपोर्ट जिससे कि आहत को अस्थिभंग कारित होने की पुष्टि होती हो। इस प्रकार आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर जो कि एम.एल.सी. रिपोर्ट प्र.पी. 4 से आहत सतीश को उपहति कारित होने की पुष्टि होती हो, किन्तु आहत को गंभीर उपहति कारित होकर अस्थिभंग होने के संबंध में किसी भी प्रमाण के अभाव में उसे अस्थिभंग होना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

11. अनावेदक पक्ष के द्वारा इस बिन्दु पर प्रस्तुत साक्षी थानसिंह अना0सा0 1 के द्वारा यह बताया गया है कि आवेदक जिस मोटरसाइकिल में बैठा हुआ था उस मोटरसाइकिल के चालक विनोद यादव के द्वारा तेजी व लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाकर स्वयं ही गड्ढे में गिरने से दुर्घटना कारित हुई है। इसी प्रकार साक्षी नरेश अना0सा0 2 के द्वारा भी कथन किया गया है तथा अनावेदक साक्षी क्रमांक 3 सुरेश के द्वारा भी आवेदक के वाहन को अकुशल व बिना लाइसेंसधारी व्यक्ति के द्वारा चलाकर दुर्घटना कारित करना बताया है। उपरोक्त संबंध में अनावेदक थानसिंह, सुरेश तथा अनावेदक साक्षी नरेश के कथनों का जहाँ तक प्रश्न है। प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि जिस वाहन से दुर्घटना होना वह बता रहे हैं उसके संबंध में कोई भी शिकायत कहीं भी उनके द्वारा नहीं की गई है। इस संबंध में निश्चित तौर से यदि दुर्घटना में अनावेदकगण के वाहन को झूठा लिप्त किया जा रहा था और उनके वाहन से कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई थी तो वह इस संबंध में पुलिस थाना में या पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत कर सकते थे, किन्तु उनके द्वारा कहीं भी ऐसा किया जाना दर्शित नहीं होता है, बल्कि अनावेदक क्रमांक 2 के विरुद्ध विवेचना

उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया है जो कि चल रहा है। ऐसी दशा में बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया आधार जो कि किसी भी प्रकार से प्रमाणित या पुष्ट नहीं है उसके आधार पर प्रश्नाधीन वाहन के दुर्घटना में लिप्त न होने अथवा उसके द्वारा कोई दुर्घटना कारित न करने के संबंध में कोई प्रतिखण्डन आवेदक की साक्ष्य का होना नहीं माना जा सकता है। तदनुसार यह प्रमाणित होता है कि अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा घटना दिनांक को घटना समय स्थान पर वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 07 एम.एच. 7992 को तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदक की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर आवेदक को उपहति कारित की। यद्यपि गंभीर उपहति कारित किया जाने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं हो। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "हां" में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 2—

12. वर्तमान बिन्दु को प्रमाणित करने का भार आवेदक पर है जिसके द्वारा अपने अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि दुर्घटना के फलस्वरूप आई चोटों से उसे स्थाई अपंगता कारित हुई। इस संबंध में कि दुर्घटना के फलस्वरूप आवेदक को स्थाई अशक्तता कारित हुई उसकी ओर से कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे कि उसे स्थाई अशक्तता आने की पुष्टि होती हो। मात्र इस आधार पर कि आवेदक को दुर्घटना में फ्रेक्चर होकर अस्थिभंग हुआ है उसे स्थाई अशक्तता कारित होनी नहीं मानी जा सकती है। जैसा कि इस बिन्दु पर **कमल कुमार जैन वि० ताजुद्दीन बगैरह 2004 (2) एम.पी.एल. जे. 472** में माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय के द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। ऐसी दशा में मात्र इस बिन्दु पर आवेदक के द्वारा किये गए अभिवचन और उसके कथन के आधार पर जबकि उसे स्थाई अशक्तता कारित होने की पुष्टि किसी भी चिकित्सीय प्रमाण या कोई दस्तावेजी आधार पर नहीं हुई हो उसे स्थाई अशक्तता कारित होने का तथ्य प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 3—

13. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना एवं वाद बिन्दुओं पर निकाले गए निष्कर्ष से यह प्रमाणित है कि अनावेदक क्रमांक 1 के स्वामित्व का वाहन जो कि घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा चलाया जा रहा था। वाहन को घटना दिनांक का घटना समय, स्थान पर अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा उतावलेपन एवं उपेक्षा पूर्वक चलाते हुए दुर्घटना कारित की जो कि उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप आवेदक को उपहति कारित हुई है।

14. जहाँ तक दुर्घटना के फलस्वरूप आवेदक को प्राप्त होने वाली प्रतिकर की राशि का प्रश्न है। सर्वप्रथम यह स्पष्ट है कि आवेदक को उपरोक्त दुर्घटना के फलस्वरूप कोई भी स्थाई अशक्तता आनी प्रमाणित नहीं है। यद्यपि आवेदक को दुर्घटना में गंभीर उपहति कारित होनी प्रमाणित है। निश्चित तौर से दुर्घटना में आई हुई चोटों के संबंध में आवेदक क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

15. आवेदक के द्वारा दुर्घटना जिसमें कि उसके दाएं पैर के घुटने के नीचे पिंडली और ऐडी में चोट आकर गंभीर उपहति कारित हुई है। जिसका कि उसके द्वारा इलाज कराया गया है और इलाज के संबंध में इलाज के बिल एवं पर्चे पेश किए गए हैं जो कि परिवार हॉस्पिटल का पर्टीकुलर बिल्स प्र.पी. 32 तथा इलाज व जाँच के बिल व पर्चे प्र.पी. 10 प्र.पी. 32 तक के आवेदक के द्वारा पेश किए गए हैं। इलाज के संबंध में जो बिल पेश किए गए हैं जो कि परिवार हॉस्पिटल ग्वालियर की रशीद प्र.पी. 32 जिसमें कि हॉस्पिटल चार्ज 17000/- रूपए की है। आवेदक के द्वारा जो अन्य बिल पेश किए गए हैं वह 7,315/- रूपए के हैं। इस प्रकार कुल राशि $17500 + 7,315 = 24,815/-$ रूपए होगी जो कि राउण्ड फिगर में 24,820/- होगा। इसके अतिरिक्त आवेदक को इलाज के दौरान पोष्टिक आहार का सेवन भी करना पड़ा होगा और उसे इलाज हेतु लाने ले जाने में भी व्यय हुआ होगा। इसके अतिरिक्त आवेदक को दुर्घटना के फलस्वरूप आई चोटों के कारण शारीरिक व मानसिक कष्ट भी सहन करना पड़ा होगा। उक्त तीनों मदों में 5000/- रूपए की राशि आवेदक को दिलाई जानी उचित होगी। इस प्रकार कुल प्रतिकर की राशि $24,820 + 5000 = 29,820/-$ रूपए होगी। जो कि आवेदक प्राप्त करने का अधिकारी होगा। उक्त राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से बसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से व्याज पाने का भी आवेदक अधिकारी होगा। उक्त प्रतिकर की राशि अदायगी का दायित्व का जहाँ प्रश्न है, सम्पूर्ण दायित्व अनावेदक क्रमांक 1 व 2 का संयुक्त एवं प्रथक प्रथक रूप से होगा। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 05:-

16. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में वाद बिन्दुओं पर निकाले गए निष्कर्ष के आलोक में आवेदक द्वारा प्रस्तुत वर्तमान प्रतिकर अदायगी बावत् आवेदनपत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निम्न आशय का अवार्ड पारित किया जाता है-

1. आवेदक अनावेदकगण 1 व 2 से संयुक्त एवं प्रथक प्रथम रूप से प्रतिकर के रूप में 29,820/- रूपए की राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. उक्त राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से उसकी बसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक

- की दर से व्याज देय होगा।
3. उक्त राशि जमा होने पर उसका 50 प्रतिशत भाग आवेदक के नाम तीन वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि खाते में जमा की जाए और शेष 50 प्रतिशत भाग बचत खाते के माध्यम से नगद भुगतान किया जाए।
 4. अभिभाषक शुल्क एक हजार रूपए निर्धारित की जाती है।
तदनुसार व्यय तालिका बनायी जाये।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)
अति०मोटर दुर्घटना दावा अधि०
गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)
अति०मोटर दुर्घटना दावा अधि०
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)